स्मार–पत्र–2

पत्रांकः–2650/20

प्रेषकः–

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

जोनल मैनेजर,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
मुजफ्फरपुर

मुज०   दिनांकः–27/11/2020

विषय–इस परिसर में अवस्थित SBI ATM के पास अनाधिकृत अतिक्रमण के संबंध में ।

महाषय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में सुधा मिल्क पार्लर के पास जो SBI का ATM है, वहॉ न कोई गार्ड रहता है और न कोई सुरक्षा का प्रबंध है । वहॉ अनाधिकृत लोगो का जमावड.ा लगा रहता है, जो गलत प्रवृत्तियों में संलिप्त पाये जाते हैं तथा वहॉ अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा चाय का दुकान भी लगाया जाता है, जो चिन्तनीय एवं खेद का विषय है ।

विदित हो कि उक्त SBI ATM के पास आपके द्वारा कोई सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी नही की जाती है, जिससे अतिक्रमण को प्रश्रय मिल रहा है ।

उक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में अवस्थित उक्त ATM के पास 24 घंटे किसी सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाए, ताकि वहॉ गलत प्रवृत्तियों में संलिप्त लोगो के जमावड.ा पर प्रतिबंध लग सके, अन्यथा उक्त ATM को इस परिसर से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए ।

विदित हो कि यह मामला अतिक्रमण से संबंधित है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन CWJC-6684/2010 से आच्छादित है ।

विश्वासभाजन
27/11/2020

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

स्मार–पत्र–2

पत्रांकः–

प्रेषकः–

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

जोनल मैनेजर,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
मुजफ्फरपुर ।

मुज०　　दिनांकः–

विषय–इस परिसर में अवस्थित SBI ATM के पास अनाधिकृत अतिक्रमण के संबंध में ।

महाषय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में सुधा मिल्क पार्लर के पास जो SBI का ATM है, वहॉ न कोई गार्ड रहता है और न कोई सुरक्षा का प्रबंध है । वहॉ अनाधिकृत लोगो का जमावड.ा लगा रहता है, जो गलत प्रवृत्तियों में संलिप्त पाये जाते हैं तथा वहॉ अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा चाय का दुकान भी लगाया जाता है, जो चिन्तनीय एवं खेद का विषय है ।

विदित हो कि उक्त SBI ATM के पास आपके द्वारा कोई सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी नही की जाती है, जिससे अतिक्रमण को प्रश्रय मिल रहा है ।

उक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में अवस्थित उक्त ATM के पास 24 घंटे किसी सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाए, ताकि वहॉ गलत प्रवृत्तियों में संलिप्त लोगो के जमावड.ा पर प्रतिबंध लग सके, अन्यथा उक्त ATM को इस परिसर से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए ।

विदित हो कि यह मामला अतिक्रमण से संबंधित है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन CWJC-6684/2010 से आच्छादित है ।

विश्वासभाजन
ह0 / –
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांकः–2650/20　　दिनांकः–27/11/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा – एस0के0एम0सी0एच0 कैम्पस, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित
3. अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. थाना प्रभारी, अहियापुर थाना, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री सुमनजी झा, प्रभारी, ओ0पी0 थाना, अहियापुर, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
6. कॉलेज वेबसाईट ।

27/11/2020

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर